

मु.न. 44/22 कल्लानाथ / उगमानाथ

27-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....11-12-24... को पेश हो कि

11-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....8-1-25... को पेश हो कि

8-1-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....16-1-25... को पेश हो कि

16-1-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।
बहस हेतु और समय चाहिए। अंतिम अवसर
दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23-1-25 को
पेश हो कि

उपपंड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

23-1-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....6-2-25... को पेश हो कि

6-2-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप।
वकील वादी ने प्रकरण में "दावा नहीं चलाना"
जाहिर किया। अतः वादी का वाद खारिज
किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो कि

उपपंड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

Sm
दीपा चलागा
नवी चाहता
उ -